कार्यालय- ग्राम पंचायत, साकरवाडा

पं.स. टोडाभीम, जिला– करौली (राज.)

प्रेषक :–
श्री राजकुमार बैरवा
सरपंच
ग्राम पंचायत साकरवाडा
पं.स. टोडाभीम, जिला– करौली (राज.)
मो. 8058046428

प्रेषित :–
श्रीमान **उपखण्ड अधिकारी**
उपखण्ड कार्यालय – टोडाभीम
जिला– करौली

क्रमांक :– SPL-1 दिनांक 11-11-17

विषय :– वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 व संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव डवलपमेंट आफ रोड मेंहदीपुर बालाजी (जिला करौली व दौसा) के बाईपास सडक के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत साकरवाडा में ग्राम सभा बैठक के प्रस्ताव बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 11-11-17 को ग्राम सभा बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 व संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव डवलपमेंट आफ रोड मेंहदीपुर बालाजी (जिला करौली व दौसा) के बाईपास सडक का वनाधिकार अधिनियम के अनुसार परीरक्षित किया गया, जिसमें प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 व संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नही किया गया है एवं न ही कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है।

इस प्रस्ताव की प्रति श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव
ग्राम पंचायत सांकरवाडा

सरपंच
ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा
पं.सं. टोडाभीम (करौली)

कार्यालय- ग्राम पंचायत, साकरवाडा

पं.स. टोडाभीम, जिला– करौली (राज.)

क्रमांक :– 5/2/2 दिनांक 11-11-17

–: अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि इस ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम गहरौली के आराजी खसरा नं0 01, 21, 22, 23, 31/333, 33 में से 0.5256 है0 रकबा वन भूमि में डवलपमेंट आफ रोड मेंहदीपुर बालाजी (जिला करौली व दौसा) के बाईपास सडक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है, तथा इस वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासीयों को वन अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी को इस ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार पत्र जारी नही किया गया है तथा कोई भी प्रकरण लम्बित नही है।

ग्राम पंचायत साकरवाडा
पं.स. टोडाभीम करौली

सरपंच
ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा
पं.सं. टोडाभीम (करौली)

आज दिनांक 11/11/17 को कार्यालय ग्राम पंचायत साकरवाडा के पंचायत भवन पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री राजकुमार बैरवा सरपंच द्वारा की गई जिसमे निम्न अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मतदाता पंजीयन ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

1	श्री राजकुमार बैरवा	सरपंच	[illegible]
2	हुसैन अहमद	सचिव	[illegible]
3	सीमा देवी	ए.एन.एम.	सीमा मीणा
4	सुशीला देवी मीणा	आशा सहयोगिनी	सुशीला देवी
5	उर्मिला देवी	आंगनवाडी	उर्मिला
6	कौशल्या देवी	सहायिका	कौशल्या देवी
7	कमल सैनी	क. लिपि	Kamal
8	हेमराज जाट	कृ.प.प.	हेमराज
9	मुकेश कुमार शर्मा	[illegible]	मुकेश शर्मा
10	विजय सिंह मीणा	[illegible]	[illegible]
11	विष्णु सिंह	उपसरपंच	[illegible]

प्रस्ताव 1 — आज दिनांक [illegible] को कार्यालय ग्राम पंचायत में ~~ग्राम सभा~~ मतदाता पंजीयन व ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रपत्र 6 भरवाए गए।

(1) पिन्टू कुमार योगी S/o मदन कुमार योगी
(2) कमल बैरवा S/o धर्मपाल
(3) घनश्याम मीना S/o जगदीश प्रसाद मीना
(4) प्रेमचंद जाटव S/o लेखराज जाटव

प्रस्ताव 2 — दिनांक [illegible] को ग्राम सभा बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 व संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव डवलपमेंट ऑफ रोड मेहन्दीपुर बालाजी जिला करौली व दौसा के बाईपास सड़क का वनाधिकार अधिनियम के अनुसार परीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित वन भूमि को अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 व संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया। एवं यह कोई प्रवासीय क्षेत्र सामान्य / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी को प्रभावित करता है।